झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

<u>अधिसूचना</u>

रॉंची, दिनांक 09/06/17

संख्या–1/आ0–526/2017 का०– 6967 / गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 18.05.2017 को सरायकेला–खरसावाँ जिले के राजनगर थाना अन्तर्गत घटित अत्यन्त जघन्य एवं गम्भीर घटना में प्रशासनिक चूक के कारण श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झाः2012), उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, आयडा) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1969 के नियम–3(1) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झाः2012) का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची रहेगा।

3. श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1969 के नियम 4(1) एवं 4(2) के अन्तर्गत निलम्बन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

सुश्री आकांक्षा रंजन, भा.प्र.से. (झाः2013), उप विकास आयुक्त, सरायकेला–खरसावाँ अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ तथा प्रबंध निदेशक, आयडा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सुश्री आकांक्षा रंजन, भा.प्र.से. (झाः2013) को सरायकेला–खरसावा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का प्रभार देते हुए यह निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

09.6.17

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/आ0–526/2017 का० – 6967 /रॉंची, दिनांक 09/06/17

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची/महालेखाकार, झारखंड, रॉंची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, रॉंची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रॉंची/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, रॉंची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रॉंची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, रॉंची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रॉंची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, रॉंची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, रॉंची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.6.17
सरकार के उप सचिव।